MR. SPEAKER : I assure, you, I have no doubt about it.

SHRIMATI LAKSHMIKANTHAMMA: I want to know whether my request to the Prime Minister to protect the right of women will be agreed to and something done in this matter to drop these rules and that discrimination will be made against women.

SHRI RAM NIWAS MIRDHA : There is no question of discrimination. As I have said, up till now, no discrimination has been exercised...

SHRIMATI LAKSHMIKANTHAMMA : These are all old rules.

SHRI RAM NIWAS MIRDHA : But they have been implemented for long...

MR. SPEAKER : She has already missed the bus.

DR. KAILAS : Is it part of the family planning programme ?

SHRIMATI INDIRA GANDHI : As my colleague the hon. Minister has pointed out, this rule has not been applied, as far as the IAS is concerned, in a single case; that is what I am told. But I agree that it is somewhat unfortunately worded.

श्री रामचन्द्र विकल : अध्यक्ष महोदय,...

अध्यक्ष महोदय : श्री विकल को इसमे क्या दिलचस्पी है ?

श्री रामचन्द्र विकल : मन्त्री जी ने उत्तर दिया है कि महिलायें परीक्षा के लिए बुला ली जाती है और बाद म नही रखी जाती है । यह बड़ा गम्भीर सवाल है । प्रधान मन्त्री जी ने भी जो उत्तर दिये है, वे काफी गम्भीर है । मै चाहता हू कि यदि आप इस विषय पर सदन मे विवाद करायें, तो ज्यादा अच्छा हो ।

SHRI JAGANATH RAO : An officer with an accomplished wife is preferred in Foreign Service. Why not an accomplished woman with a husband who is accomplished and qualified be preferred for Foreign Service ?

MR. SPEAKER : That is a matter to be considered.

Reprintiug of Posts and Telegraphs Code

*985. SHRI R. V. BADE : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether the Post and Telegraphs Code has not been reprinted since 1954 ;

(b) the number of corrections since made in the rules ; and

(c) whether it hampers the efficiency of the Department ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) जी नही । डाक-तार नियम पुस्तक, खंड II, डाक-तार नियम पुस्तक खड XI, भाग IV और डाक-तार वित्तीय पुस्तिका खंड-II के अतिरिक्त 1954 के बाद अन्य सभी डाक-तार सहिताओ का पुनर्मुद्रण किया गया है ।

(ख) जी हां । एक विवरण-पत्र सभा-पटल पर रखा जा रहा है जिसमे विभिन्न नियम पुस्तको से संबंधित जारी की गई शुद्धि पर्चियों की संख्या दी गई है [ग्रन्थालय में रख दिया गया । देखिये सख्या LT-617/71]

(ग) जी नही ।

श्री आर. वी. बडे : अध्यक्ष महोदय, मैं ने भाग (सी) मे पूछा है कि :

"whether it hampers the efficiency of the Department ?"

मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया है, "नो, सर" । उन्होने जो स्टेटमेंट दिया है, उस मे बताया गया कि पी. एंड टी. मैनुअल, वाल्युम I, पार्ट I में करेक्शन लिस्ट्स और स्लिप्स की संख्या 22(122-128) और

वाल्युम II मे करेक्शन लिस्ट्स और स्लिप्स की सख्या 72(509) है। इसी तरह 1964 मे छपे हुए वाल्युम VI, पार्ट I मे करेक्शन लिस्ट्स और स्लिप्स की संख्या 26 (89) है। मै ने इस स्टेटमेंट मे दी गई करेक्शन लिस्ट्स और स्लिप्स की सख्या को जोड कर देखा है कि सब ला वाल्युम्ज मे एक हजार के करीब करेक्शन लिस्ट्स और स्लिप्स लगी हुई हैं इस का परिणाम यह है कि वे सब स्लिप्स नही मिलती है और इस लिए इन वाल्युम्ज का उपयोग नही हो पाता है। मैं यह जानना चाहता हू कि डिपार्टमेन्ट की ओर से नये वाल्युम्ज क्यो नही प्रकाशित किये जाते है, जिस से उनका उपयोग किया जा सके और आवश्यता पडने पर उन को रेफर किया जा सके।

श्री हेमवती नदन बहुगुणा माननीय सदस्य का जो प्रश्न है, उस मे हमारे लिए सलाह है। ज़ाहिर है कि हम को अभी तक उस मे कोई कठिनाई दिखाई नही दी है। उन के पास जो वाल्युम है.....

श्री आर बी बड़े वाल्युम VI, पार्ट I।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा वह 1964 मे रिप्रिन्ट हो गया है और उसकी कापीज हमारे पास बाकी है उस के बाद नियमो म जो परिवर्तन किये है, उनकी स्लिप्स चिपका दी गई है और विभाग को इस सम्बन्ध म कोई कठिनाई नही हो रही है।

श्री आर बी. बड़े. पार्लियामेन्ट हाउस मे वाल्युम VI के सिवा और कोई वाल्युम नही मिलता है। 24-10 70 को मंत्री महोदय के विभाग को बाकी वाल्युमज भेजने के लिए कहा गया और उन्होने कहा कि अभी स्टाक मे नही हैं। मै यह जानना चाहता हूँ कि क्या ये अभी रिप्रिन्ट नही हुए है और क्या उन को जल्दी रिप्रिन्ट किया जायेगा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा कुछ तो ऐसे है, जो हमारे पास मौजूद है और जो नही हैं, वे प्रिन्ट के लिए गये हुए है और वे चीफ कन्ट्रोलर आफ स्टेशनरी एन्ड प्रिन्टिंग के पास मौजूद है। जब वे प्रिन्ट करके भेजेगे, तो हम देगे। अगर माननीय सदस्य किसी स्पेसिफिक वाल्युम की चर्चा करें, तो मै बता सकता हू कि हम दे सकते है या नही।

Government Agency for Publication of Works of Dr Ambedkar

*988 SHRI R P ULGANAMBI : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state

(a) whether there is any proposal to set up a Government organization or to finance any voluntary body for the collection editing and publication of the works of DR B R Ambedkar , and

(b) if so the main features thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI DHARAM BIR SINHA) (a) and (b) The Publications Division propose to publish a biography of Dr Ambedkar in the series Builders of Modern India' There is no scheme to establish an organisation or to finance any voluntary body for the collection editing and publication of the works of Dr B R Ambedkar

SHRI R P ULAGANAMBI . Will Government come forward to establish a memorial or foundation which may publish Dr Ambedkar's works and propigate his ideals to the people on the lines of what was done in the case of Gandhiji Nehru, Lal Bahadur Shastri Dr Zakir Hussain, Kasturba and others ?

SHRI DHARAM BIR SINHA Government have not published the collected works of any Indian leader other than Mahatma Gandhi We have published the speeches of some of our national leaders such as the President, the Prime Minister, Vice President and others They include Sardar Patel, Subhash Chandra Bose, C Rajgopalachari and T T Krishnamachari The publication is limited to that of collected speeches